30-7-19

अपीलांट्स के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण मे मयाद के बिन्दु पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सं. 1से11 की संयुक्त खातेदारी को विभाजित करने हेतु रेस्पोडेंट सं. 12 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2007 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इस विभाजन आदेश के बारे मे अपीलांट्स को कोई जानकारी न देने के कारण तथा अपीलांट्स से छिपे तौर पर बंटवाडा करवाने के कारण अपीलांट्स को इस विभाजन की जानकारी नहीं हो सकी तथा रेस्पोडेंट्स सं. 1से8 ने छिपे तौर पर बंटवाड़ा करवाकर राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करवा दिया। अपीलांट्स द्वारा जुलाई–अगस्त 2016 मे बरसात होने पर जब मौके पर बाहमी बंटवाड़े अनुसार काश्त करने लगे तो रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स को काश्त करने से मना किया तथा कहा कि हमारी संयुक्त भूमि का बंटवाड़ा हो गया है, इस बंटवाड़ा अनुसार की मौके पर काबिज होकर काश्त करेंगे। इस पर अपीलांट्स को अपने हक हिस्से के प्रति संशय पैदा हुआ तो हल्का पटवारी से मौजा डऊकियों की ढाणी के खते की वर्तमान जमाबन्दी दिनांक 25.07.2016 प्राप्त की तथा दिनांक 01.08.2016 को विभाजन के संबंध मे पारित नामान्तरकरण सं. 54 की प्रतियां तथ मौजा नवोडा बेरा हाल ग्राम राजीव नगर की वर्तमान जमाबंदी दिनांक 25.07.2016 को नकलें प्राप्त तथा इस संबंध मे पारित नामान्तरकरण सं. 370 की दिनाक 29 07.2016 को नकलें प्राप्त की तब समस्त तथ्यों की जानकारी हुई। अपीलांट्स को विभाजन आदेश की नकलें कई प्रयासों के बाद भी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

प्राप्त नही हुई हैं, जिससे बिना विभाजन आदेश की नकल यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार अपीलांट्स को यह अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना न्यायोचित हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं. 6 से 8 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा विलम्ब का जो कारण बताया गया हैं वह गलत हैं। अपीलाधीन बंटवाड़ा अपीलांट्स की उपस्थिति मे करवाया गया था तथा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया था तथा बंटवाड़े अनुसार की पक्षकारान अपने–अपने हिस्स पर काबिज हुए एवं काश्त करते थे तथा इसी अनुसार रहवासी ढाणियां वगैरह बनी हुई हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा विभाजन पश्चात अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाया तथा उसमें रहवासीय ढाणियां वगैरह बनाई। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने की वजह से अपीलांट्स की नीयत में खोट आ गया है तथा यह अपील गलत आधारों पर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स ने विलम्ब का जो कारण बताया है वह मानने योग्य नहीं है। प्रस्तुत अपील करीब बारह वर्ष की लम्बी समयावधि पश्चात प्रस्तुत की गई है जो पूर्णतया मयाद बाहर है। करीब बारह वर्ष पूर्व पारित आदेश की समीक्षा अब अपीला न्यायालय द्वारा की जाती है तो परीसीमा अधिनियम ही व्यर्थ हो जाएगा और उस पक्षकार के साथ अन्याय होगा। ऐसी स्थिति में इस अपील को प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उसे क्षमा करने का लेश मात्र भी आधार नहीं है। अतः अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा डऊकियों की ढाणी व नवोडा बेरा के खसरा नम्बर 1957/1763, 1686, 1694 कुल रकबा 145–14 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड मे अदरीम, हनीफ खां, वली खां गफूर खां पि0 हमले खां मुरादी बेवा हमले खां, रेमे खां पुत्र महेन्द्र खां, अली, नसीरा पि0 धूमा, फीरोजी बेवा धूमा कौम मुसलमान सा0 देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। पक्षकारान ने आपसी सहमती से उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन करने हेतु विभाजन प्रस्ताव मय विभाजन नक्शा तहसीलदार पचपदरा के समक्ष दिनांक 23.01.2007 को प्रस्तुत किया, जिस पर हलका पटवारी पाटोदी की रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती के आधार पर विभाजन प्रस्ताव आदेश दिनांक 23.01.2007 को स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का विभाजन पक्षकारान के बाहमी बटवाडा अनुसार नहीं हुआ है। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनकी सम्पूर्ण सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी उसी दिन अपीलांट्स को हो गई थी। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की उपस्थिति मे ही पारित किया गया है। ऐसे मे प्रथम तो प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है जिसके बाबत कोई ठोस कारण प्रकट नही किया गया है, द्वितीय कि सहमति से कराये गये विभाजन के विरूद्ध अपील विचारण योग्य भी प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अत अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकार किया जाता हैं जिसके फलस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील मयाद के बिन्दु पर इसी प्रक्रम में खारिज की जाती है। जिला कलक्टर, बाड़मेर जिला कलक्टर बाड़मेर	

Scanned by CamScanner